| |
|---|
| दिनांक 09.05.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 14/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा शहीद पुलिस निरीक्षक के आश्रित परिजन को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत चेक प्रदान किया गया।

**श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा आज दिनांकः 09.05.2025 को कर्तव्य पालन के दौरान शहीद निरीक्षक स्व0 सुनील कुमार के शोक संतप्त आश्रित परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत धनराशि के रूप में 01 करोड़ 80 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पुलिस एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य पुलिस सैलरी पैकेज का MOU साइन हुआ था, जिसके अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शहीद निरीक्षक स्व0 सुनील कुमार के परिजन को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत 01 करोड़ 80 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

शहीद निरीक्षक स्व0 सुनील कुमार एसटीएफ, यूनिट मेरठ में नियुक्त थे। दिनांक 20.01.2025 को उक्त निरीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा 01 लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी अरशद की गिरफ्तारी के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी अरशद व उसके तीन साथियों द्वारा एसटीएफ टीम पर फायरिंग कर दी गयी। अपराधियों द्वारा की गयी फायरिंग में स्व0 निरीक्षक सुनील कुमार को कई गोलियां लगने के बावजूद उनके व उनकी टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुरस्कार घोषित अपराधी सहित चारों अपराधी धायल हो गये, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। कर्तव्य पालन के दौरान घायल निरीक्षक स्व0 सुनील कुमार को मेदान्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहॉ उपचार के दौरान दिनांक 22.01.2025 को निरीक्षक सुनील कुमार शहीद हो गये।

इस अवसर पर श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था एवं श्री एन0 रविन्दर, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 एवं

बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री शैलेन्द्र कुमार सिहं, महाप्रबन्धक व उप महाप्रबन्धक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

| |
|---|
| दिनांक 09.05.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 15/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना माण्डा**

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **11 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.05.2025 को थाना माण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दशमिहवा मैदान मस्तान शाह बाबा लालगंज रोड से 04 अभियुक्तों 1–नीरज 2–बबलेश 3–पंचमलाल उर्फ विजय 4–जय उर्फ अजय उर्फ विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 11 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना माण्डा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना माण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त पंचमलाल उर्फ विजय के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज, जनपद भदोही के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त जय उर्फ अजय उर्फ विजय के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना माण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नीरज निवासी ग्राम तिसेनतुलापुर थाना माण्डा, प्रयागराज।

2—बबलेश निवासी ग्राम तिसेनतुलापुर थाना माण्डा, प्रयागराज।

3—पंचमलाल उर्फ विजय निवासी ग्राम तिसेनतुलापुर थाना माण्डा, प्रयागराज।

4—जय उर्फ अजय उर्फ विजय निवासी सरायकला थाना माण्डा, प्रयागराज।

**बरामदगी**

1—चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—11 हजार 500 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

**जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर**

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर न्याजुपुरा चरथावल रोड गुडलक फार्म हाउस के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रवेज शैफी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तराखण्ड, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—प्रवेज शैफी निवासी खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर।

**बरामदगी**

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

**जनपद गोण्डा/थाना उमरीबेगमगंज**

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के आभूषण**
- **04 हजार 90 रूपये नगद**
- **02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 08/09.05.2025 की रात्रि थाना उमरीबेगमगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्गापुर मोड़ के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—बृजेश उर्फ छोटू 2—पल्लू घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—नानमुन्ना सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण, 04 हजार 90 रूपये नगद, 02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त पल्लू के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग व अभियुक्त बृजेश के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—बृजेश उर्फ छोटू निवासी मदनवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

2—पल्लू निवासी अकनिया माझा पसीयनपुरवा पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

3—नानमुन्ना निवासी सुर्जन पाण्डेपुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी**

1—चोरी के आभूषण।

2—04 हजार 90 रूपये नगद।

3—02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

**जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **सफेद धातु के आभूषण**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 09.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शुक्लाई के पास से 02 अभियुक्तों 1—दीपक 2—अतुल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–दीपक निवासी ग्राम नारे का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2–अतुल निवासी अयोध्या नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

**बरामदगी**

1–सफेद धातु के आभूषण।

2–नगद रूपये आदि।

- **जनपद जालौन/थाना आटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना आटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरपाल को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना पुवायां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना पुवायां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजपाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## <u>एस0टी0एफ0ः–हत्या की घटना में जनपद बस्ती से 50,000–50,000 रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 31–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(2), 238, 326(8), 3(5), 61(2) बीएनएस में वांछित रूपये 50,000–50,000 के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तो गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>ः–**

1–कौशल चन्द्र उपाध्याय पुत्र कमलेश चन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम सेठा, थाना कप्तानगंज, बस्ती।
2–रंजना उर्फ अंजली पत्नी कौशल चन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम सेठा, थाना कप्तानगंज, बस्ती।

**<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान</u>ः–**

गड़हा गौतम अण्डर पास, थाना क्षेत्र कप्तानगंज, बस्ती दिनांक 09–05–2025

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार

दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में निरीक्षक श्री ओम शंकर शुक्ला, गिरजाषंकर यादव, मु0आ0 कुलदीप सिंह, राकेष शर्मा, दिलीप कुमार, मु0आ0 चालक अवधेष यादव की टीम द्वारा जनपद बस्ती में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 में वांछित रूपये 50–50 हजार के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कौषल चन्द्र उपाध्याय एवं उसकी पत्नी रंजना उर्फ अंजली के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिस को साथ लेकर वांछित दोनों अभियुक्तों को गड़हा गौतम अण्डर पास के निकट से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि परिवारिक सम्पत्ति विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों (करूणाकर, राजेष, शान्ति, सिल्पा और कमलेष) के साथ मिलकर गोदावरी व उसकी बेटी सौम्या की हत्या कर दिये थे एवं सबूत मिटाने के उद्‌देष्य से उनके शवों को जला दिये थे। इस घटना में 05 अभियुक्त जेल जा चुके है। यह अपनी पत्नी के साथ ससुराल एवं बिहार राज्य में छिपकर रह रहे थे। अभी बस्ती होते हुए प्रयागराज जाने की फिराक में थे।

**कौशल चन्द्र उपाध्याय का अपराधिक इतिहासः–**

1–मु0अ0सं0 195/2008 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)(10)एससी/एसटी एक्ट, थाना कप्तानगंज बस्ती।

2–मु0अ0सं0 2009/2008 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि कोतवाली बस्ती।

3–मु0अ0सं0 237/2009 धारा 3/4 यूपी गुण्डा एक्ट, कप्तानगंज, बस्ती।

4–मु0अ0सं0 149/2017 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 356ख, 427, 504, 506 भादवि थाना कप्तानगंज, बस्ती।

5–मु0अ0सं0 49/2020 धारा 147, 149, 308, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना पकैलिया, बस्ती।

6–मु0अ0सं0 48/2022 धारा 147, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना कप्तानगंज, बस्ती।

7–मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(2), 238, 3(5), 326(2), 61(2) बीएनएस थाना कप्तानगंज, बस्ती।

8–मु0अ0सं0 34/2025 धारा 209 बीएनएस थाना कप्तानगंज, बस्ती।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती में दाखिल किया गया है, अग्रिम विविध कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————